न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर जिला जयपुर

प्रकरण संख्या :– 38/2024
जीसीएमएस नं0 :– 2024/57
उनवान :– साधु सिंह v/s सरकार

::– आदेश –::

दिनांक:13.02.2024

तहसीलदार, तहसील आमेर के पत्रांक भू.अ./2024/86 दिनांक 09.01.2024 द्वारा प्रशासन गॉवों के संग अभियान में प्रकरण प्राप्त हुआ। प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया गया। उभयपक्ष को तलब किया गया। नायब तहसीलदार, तहसील आमेर पैरोकार सरकार उपस्थित हुये। पक्षकारान को सुना गया। उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया।

अतः प्रा0पत्र के सलग्न दस्तावेजात का अध्ययन किया, उभयपक्ष की बहस का मनन किया एवं तहसीलदार, तहसील आमेर से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर ग्राम रूण्डल की वर्तमान जमाबंदी के खाता संख्या 114 में प्रार्थी साधू सिंह की जाति दरोगा दर्ज है। श्रीमान शासन उपसचिव महोदय के आदेश क्रमांक प.3(2) राज–6/2021 दिनांक 19.04.2023 की पालना में खातेदार की जाति दरोगा के स्थान पर रावणा राजपूत शुद्धि का इन्द्राज किया जाना स्वीकृत किया जाता है। आदेश सुनाया गया। तहसीलदार, तहसील आमेर पालना सुनिश्चित करें। पत्रावली फैसल सुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
आमेर, जिला जयपुर